न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 337/2025 (GCMS: **2025/446**)

राज्य सरकार जरिये श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री कृष्णलाल** पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी जाखड़ावली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, मोबाईल नम्बर : 82900-00233
2. **श्री अनिल देडू** निवासी सिहागावाली तहसील श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर : 99840-00414
3. **फर्म अशोक टमी प्वाईंट,** पायल सिनेमा के सामने, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 15.10.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ पायल सिनेमा के सामने, श्रीगंगानगर स्थित दुकान अशोक टमी प्वाईंट पर पहुंचे। मौके पर उक्त दुकान में श्री कृष्णलाल पुत्र ओमप्रकाश उपस्थित मिले, जिसके स्वयं का दुकान का कार्मिक होना बताया तथा दुकान श्री अनिल देडू निवासी सिहागावाली की होना बताया। श्री कृष्णलाल की उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। मौके पर 13 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी, 02 प्लास्टिक कीप पायी गयी, जिसे श्री कृष्ण लाल ने उक्त पेट्रोल मालिक अनिल देडू का होना स्वयं का होना स्वीकार किया तथा बताया कि वह **पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल-पेट्रोल का बेचान अपनी उक्त दुकान में करता हैं।** मौके पर कृष्ण लाल द्वारा पेट्रोल/डीजल के बेचान के संबंध में कोई कागजात/अनुमति/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार [illegible] देडू ने **बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान करना [illegible] और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4) एवं 4 का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण**, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर, मौके पर जब्तशुदा 13 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी तथा 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 337/2025
सरकार बनाम कृष्णलाल वगै.
(GCMS No. 2025/446)
आदेश दिनांक 01.05.2026

अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था, जो अप्रार्थी को विधिवत् तामील प्राप्त होने के बाद उनके द्वारा दिनांक 15.12.2025 को अपना जवाब पेश किया था। उसके पश्चात की पेशी वे उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया है अवैध पेट्रोल के बेचान के कारण श्रीमान जिला रसद अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था। जिसमें उनसे 13 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी तथा 02 प्लास्टिक कीप को जब्त किया गया था। प्रार्थी स्वयं के जुर्म को स्वीकार करता है तथा भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। इसलिए उनके प्रकरण को ड्रॉप करने की प्रार्थना की थी।

विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 15.10.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ अप्रार्थीगण की दुकान पर पहुचें तो उसके द्वारा बिना कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल/डीजल का बेचान किया जा रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करन मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का उल्लंघन करने के कारण जब्तशुदा 13 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी तथ 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली एवं विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ ने दिनांक 15.10.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु पायल सिनेमा रोड, श्रीगंगानगर पर पहुंचे तो मौके पर श्री कृष्ण लाल दुकान पर उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जाचं की गई। मौके पर 13 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी और 02 प्लास्टिक कीप दुकान में पायी गयी, जिसे अप्रार्थी कृष्णलाल ने उक्त पेट्रोल मालिक अनिल देडू का होना स्वीकार किया। अप्रार्थी ने बातया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्प से डीजल–पेट्रोल का बेचान फर्म [illegible] के सामने, श्रीगंगानगर में स्थित दुकान में करता है। मौके प[illegible] पेट्रोल/डीजल के बेचान करने संबंधी कागजात/[illegible] नहीं किया गया। इसलिए 13 लीटर पेट्रोल मय [illegible]स्टिक कीप को जब्त किया गया। कृष्णलाल एवं अनिल देडू ने बिना अनु[illegible]/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उल्लंघन किया है इसलिए जब्तशुदा 13 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी और 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **''जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।''**

इस प्रकार अप्रार्थीगण के कब्जे से उसकी दुकान में 13 लीटर पेट्रोल बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा **अप्रार्थीगण द्वारा दिये गये जवाब में अपने जुर्म को स्वीकार किया है।** इस प्रकार अप्रार्थी डीजल / पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है।** इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त **13 लीटर पेट्रोल पदार्थ मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरते है।**

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 13 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 13 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य सामान को विक्रय कर, राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील शामिल दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:52 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर